

जे. वी. गुप्ता, जे.

धरम सिंह और अन्य-

याचिकाकर्ता।

बनाम

अद्दू राम और अन्य-

प्रतिवादी।

1988 का नागरिक संशोधन संख्या 1811

11 अगस्त, 1989.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) ओ. 1 आर. 10-पक्षों को पक्षकार बनाना-आवेदकों को वादी के समान हित होना-क्या ऐसे आवेदकों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है।

अभिनिर्णित किया गया कि प्रतिवादी अपना अधिकार, यदि कोई हो, स्थापित करने के लिए एक अलग मुकदमा दायर कर सकते हैं। सूट संपत्ति में. किसी भी मामले में, इस स्तर पर यह निर्देश दिया जाता है कि या तो उक्त प्रतिवादियों को वादी के रूप में पक्षकार बनाया जाए, यदि वादी को कोई आपत्ति नहीं है और यदि उन्हें वादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, तो उन्हें एक अलग मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया जाए। वर्तमान मुकदमे में उन्हें बचाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो प्रतिवादी 1 और 2 के अधिकारों को प्रभावित करती है। (पैरा 4)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री बलबीर सिंह के न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण हेतु। एच.सी.एस.. अतिरिक्त. वरिष्ठ उप न्यायाधीश, भिवानी ने दिनांक 16 मई, 1988 को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि प्रतिकृति दाखिल करने के लिए मामले को 26 मई, 1988 तक स्थगित कर दिया जाए।

दावा: इस घोषणा के लिए मुकदमा कि 13 मऊ, 1983 को वादी द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में पंजीकृत जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नंबर 59 गलत है, कानून और तथ्यों के खिलाफ है और धोखाधड़ी पर आधारित है, और बाध्यकारी नहीं है वादी के अधिकार तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में दिनांक 6 जून 1983 को पुनः दर्ज किया गया पट्टा नामा गलत, तथ्य विरुद्ध, शून्य एवं शून्य सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर, गलत है, कानून के विरुद्ध है तथा रिकॉर्ड पर तथ्य, शून्य और शून्य और वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा प्रतिवादियों 1 और 2 को विवाद में भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप करने और या अवैध और जबरन कब्जा करने या दिखाए गए फसलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यह भूमि गांव मंडोली स्थित खसरा और किला नंबर में शामिल है

4 3

7/1(3-4) 9-3/2(5-0) 8(7-8)

3 1 3 4

13(6-14) या 17(2-8) या 1/1(6-0) या 5(8-0)

3 3 4

11(7-11), 12(7-11) या 10(8-0) या 6(6-16)

खुर्द तह. सिवानी जिला. 31 मई 1981 को गलत, कानून के विरुद्ध सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और पट्टा नामा के आधार पर और प्रतिवादी नंबर 1 को जमीन या उसके किसी भी हिस्से को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए भिवानी, -31 मई 1981 को म्यूटेशन नंबर 1013 को मंजूरी दे दी गई। गलत एवं अवैध जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर वादी की ओर से कोई कार्रवाई करने तथा प्रतिवादी 1 एवं 2 को गलत अवैध के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में पट्टा नामा लागू करने से रोकने के लिए। और तथ्यों के विपरीत पट्टा नामा और प्रतिवादी नंबर 2 को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से पट्टा नामा के उत्परिवर्तन को मंजूरी देने से रोकना।

पुनरीक्षण में दावा : निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील मनीराम।

उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं।

आदेश

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह पुनरीक्षण याचिका ट्रायल कोर्ट के 16 मई 1988 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत प्रतिवादियों की ओर से दायर आवेदन में अतिरिक्त प्रतिवादियों की ओर से दायर लिखित बयान का जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी। 8 को अस्वीकार कर दिया गया।

(2) इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने, 4 फरवरी 1988 के अपने आदेश के तहत, प्रतिवादी 3 से 8 की ओर से आदेश 1, नियम 10, सीपीसी के तहत दायर आवेदन की अनुमति दी थी। उस आवेदन का वादी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन बल्कि प्रतिवादियों द्वारा इसका विरोध किया गया। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। जब उन्होंने लिखित बयान दाखिल किया, तो प्रतिवादी 1 और 2 ने अपने लिखित बयान का जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, प्रतिवादियों को लिखित बयान की प्रतिकृति दाखिल करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं था।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में आदेश 1, नियम 10, सीपीसी, दिनांक 4 फरवरी, 1988 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देने वाला पिछला आदेश स्वयं गलत और अवैध था। प्रतिवादी 3 से 8 को वादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि वे वादी के साथ मुकदमे में कुछ अधिकारों का दावा कर रहे थे और यही कारण है कि वादी ने कभी भी उक्त आवेदन का विरोध नहीं किया। हालाँकि, विद्वान वकील ने तर्क दिया, यदि उन्हें प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था और उन्हें अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, तो प्रतिवादी 1 और 2 को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

(4) विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरा मानना है कि 4 फरवरी 1988 का पिछला आदेश उचित नहीं था। प्रतिवादी 3 से 8 मुकदमे की संपत्ति में अपना अधिकार, यदि कोई हो, स्थापित करने के लिए एक अलग मुकदमा दायर कर सकते हैं। किसी भी मामले में, इस स्तर पर यह निर्देश दिया जाता है कि या तो उक्त प्रतिवादियों को वादी के रूप में शामिल किया जाए, यदि वादी को कोई आपत्ति नहीं है और यदि उन्हें वादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें एक अलग मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया जाए। वर्तमान मुकदमे में उन्हें बचाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो प्रतिवादी 1 और 2 के अधिकारों को प्रभावित करता है।

(5) नतीजतन, यह याचिका सफल होती है; 4 फरवरी 1988 का आदेश और 16 मई 1988 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। यदि वादी को कोई आपत्ति नहीं है तो प्रतिवादी 3 से 8 को वादी में जोड़ा जा सकता है और उस स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अतिरिक्त वादी द्वारा ली गई याचिका पर अपना लिखित बयान दाखिल करने के हकदार होंगे। यदि वादी सहमत नहीं है तो उस स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 से 8 तक को अलग से वाद दायर करने का निर्देश दिया जाएगा। याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा

